Helpline 1064

94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- **नगर निगम, जयपुर में बीवीजी कम्पनी का अधिकारी 75 हजार रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार**
- **आवास एवं अन्य ठिकानों की तलाशी जारी**

जयपुर, *26 अक्टूबर।* ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर मुख्यालय की जयपुर शहर–प्रथम इकाई द्वारा आज मंगलवार को कार्यवाही करते हुये राहुल बोडके सहायक प्रबन्धक बीवीजी कम्पनी, नगर निगम जयपुर को परिवादी से 75 हजार रुपये रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक श्री भगवान लाल सोनी ने बताया कि ए.सी.बी. की जयपुर शहर–प्रथम इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि मेरे द्वारा नगर निगम जयपुर की कचरा डिपो से रीसाइक्लिंग हेतु कचरे से कांच की बोतल, प्लास्टिक आदि कचरा इकट्ठा किया जाता है। इस कचरे को इकट्ठा करने की अनुमति देने हेतु और नगर निगम अधिकारियों की तरफ से कोई बाधा उत्पन्न नहीं होने देने की एवज में बीवीजी कम्पनी का अधिकारी राहुल सहायक प्रबन्धक द्वारा 1 लाख रूपये रिश्वत राशि मांगकर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर एसीबी जयपुर शहर–प्रथम इकाई के **अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री आलोक शर्मा** के नेतृत्व में शिकायत का सत्यापन किया गया। सत्यापन के दौरान आरोपी सहायक प्रबन्धक बीवीजी कम्पनी द्वारा 25 हजार रूपये रिश्वत प्राप्त की गई। जिस पर आज उनकी टीम द्वारा ट्रेप कार्यवाही करते हुये राहुल बोडके सहायक प्रबन्धक बीवीजी कम्पनी, नगर निगम जयपुर को परिवादी से 75 **हजार रुपये की रिश्वत** लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया।

एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक श्री दिनेश एम.एन. के निर्देशन में आरोपी के आवास एवं अन्य ठिकानों की ए.सी.बी. टीमों द्वारा तलाशी जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

एसीबी महानिदेशक, श्री भगवान लाल सोनी ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की ***टोल–फ्री हैल्पलाईन नं.*** **1064** *एवं* ***Whatsapp हैल्पलाईन नं.*** **94135–02834** पर 24X7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरूद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। **एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी।** विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ–साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरूद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।